कार्यालयी हिंदी का स्वरूप एवं विस्तार : एक दृष्टि

प्रदीप कुमार उनियाल
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रुड़की।

कार्यालयी हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। दूसरे शब्दों में वह हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में होता है उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहते हैं। कार्यालयी हिंदी की अपनी शब्दावली होती है जिसका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी और प्रशासक नित्य–प्रतिदिन अपने सरकारी कामकाज में करते हैं।

हिंदी भाषा मानव विचारों के आदान–प्रदान का एक सशक्त माध्यम होने के साथ–साथ सामाजिक व्यवहारों की वाहक भी है। हिंदी भाषा का उच्चारण सुस्पष्ट एवं सर्वोत्कृष्ट है इसीलिए इसे हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। भाषा विशेष के द्वारा ही हमें उसके बोलने वाले समूहों की विविधता तथा उनकी संस्कृति आदि का बोध हो जाता है। हमारा देश एक बहुभाषी राष्ट्र है जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों की एक सुदीर्घ एवं समृद्ध परम्परा रही है। इन भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों से इनके बोलने वालों की संस्कृति में तमाम विभिन्नताएं होने के बावजूद हमें एकता के दर्शन होते हैं और यही एकता भावनात्मक एकता कहलाती है। सभी भारतीय भाषाएं भावना और विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में धरती पर सांस्कृतिक एकता की गंगा प्रवाहित करती हैं।

हिंदी एक ऐसी समर्थ एवं समृद्ध भाषा है जो सम्पूर्ण भारत में कमोवेश बोली एवं समझी जाती है। देश के सामाजिक विकास से इसका गहरा सम्बन्ध है। यह उच्च, मध्य, निम्न, शिक्षित, अर्द्धशिक्षित, अशिक्षित आदि सभी वर्गों की भाषा है। यह हमारे चिंतन और अभिव्यक्ति की सशक्त माध्यम है। इसका अपना शब्दकोश है अपना व्याकरण है जिसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो चुकी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही लिख लेते हैं। हर उच्चारण के लिए हमारे पास शब्द उपलब्ध है। वस्तुतः यह एक जीवन्त भाषा है। यह एक विकसित भाषा की तरह सभी प्रकार्यों को पूर्ण करने में सक्षम है। यही कारण है कि स्वाधीनता संग्राम के समय देश में जो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चला उस समय सुदूर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सारे भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य इसी हिंदी ने किया। अखिल भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत के बाद इसी ने सम्पूर्ण जन मानस को जोड़ने का कार्य किया और इसने धीरे–धीरे प्रशासकीय कार्यों में भी अपना सिक्का जमाना शुरू किया। आज इसकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं। आज हम इसमें "प्रशासनिक हिंदी" पर अलग से विचार विमर्श करने लगे जिससे कि इसके प्रयोग में आने वाली तमाम कठिनाईयों को दूर करके प्रशासन के क्षेत्र में इसे पूर्णरूप से प्रतिष्ठत कर सकें। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है परंतु अभी काफी कुछ किया जाना शेष है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया का कोई देश जो आज आगे बढ़ा है इसी प्रक्रिया के गुजरकर आगे बढ़ा है, उनमें अपनी भाषा, संस्कृति और परिवेश से पूर्णतया लगाव है। यद्यपि हमारे देश में नई पीढ़ी भले ही अंग्रेजी के वशीभूत हो जाए, परंतु विदेशों में हिंदी की महत्ता पिछले सालों में काफी बढ़ी है। आज हिंदी भारत ही नहीं, अपितु, नेपाल, बांग्ला देश, पाकिस्तान, इराक, इंडोनेशिया, इजराइल, ओमान, फिजी, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, म्यांमार, रूस आदि देशों में भी बोली जाती है जहां लाखों अनिवासी भारतीय व हिंदी भाषी हैं। यह प्रश्न बार–बार उठाया जाता है और यह भ्रम समाया हुआ है कि अंग्रेजी के बिना विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई संभव नहीं है, तब यह प्रश्न उठता है कि रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी जहाँ का विज्ञान और तकनीक दुनिया में सर्वोत्तम है क्या उन्होंने अपनी भाषा में पढ़कर उस श्रेष्ठता को प्राप्त किया है या अंग्रेजी के माध्यम से? अपनी भाषा के पूर्णरूप से कार्यान्वित करने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए कोई कार्य असंभव नहीं है।

प्राचीनकाल में कामकाज एवं प्रशासन की भाषा संस्कृत थी इस तथ्य के प्रमाण हमें प्राचीन सरकारी लेख–पत्रों, कानूनों, नियमों तथा सरकार एवं नागरिकों से सम्बन्धित अभिलेखों से मिलते हैं। इन सभी लेखों, अभिलेखों एवं पत्रों की भाषा संस्कृत थी कालान्तर में देश के राजनीतिक परिदृश्यों में परिवर्तन के साथ–साथ राजभाषा के स्वरूप एवं शब्दावली में परिवर्तन आना आरंभ हुआ। संस्कृत के बाद देश में देशज भाषाओं का प्रचलन बढ़ा लेकिन परोक्षतः उन पर भी संस्कृत भाषा का प्रभुत्व विद्यमान रहा। बाद में लगभग बारहवीं–तेरहवीं शताब्दी के आस–पास पूर्वी पंजाब से बंगाल तक प्रचलित सभी बोलियों एवं भाषाओं को भी हिंदी ने आत्मसात कर लिया, वह राजकाज की भाषा में प्रयुक्त होने लगी। ऐसा इसलिए सम्भव हुआ कि वस्तुतः हिंदी का उत्तर पूर्व एवं मध्य भारत की समस्त भाषाओं से गहरा सम्बन्ध रहा है। उदाहरणतः राजपूत राजाओं के शासनकाल में शासन की भाषा राजस्थानी हिंदी ही थी, जिसमें शासकीय पत्र, टिप्पणियां, कर्मचारियों की आचार संहिता, राजा के ओदश आदि प्रस्तुत किये जाते थे। इसी प्रकार मुगलों के शासनकाल में भी हिंदी भाषा में राज्यादेश किये जाते थे। इसमें हिंदी भाषा का जो रूप प्रयुक्त होता था वह लोक प्रचलित एवं व्यापक क्षेत्र में स्वीकृत होता था। यह हिंदी फारसी मिश्रित होती थी तथा इसमें कई बोलियों का समन्वय किया जाता था। ब्रज, राजस्थानी, बुन्देली आदि का इसमें खुलकर प्रयोग होता था। यहां तक कि औरंगजेब जैसे कट्टर शासक के समय भी राजकार्यों में हिंदी का प्रयोग होता था। यही स्थिति मराठों के शासनकाल में भी देखने को मिलती है। यहां युद्ध के पश्चात तैयार किये गये सन्धि–पत्रों, राजनीतिक व्यापारिक समझौतों, आदेशपत्रों, प्रमाण पत्रों, आदि में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। राजकाज की दृष्टि से अंग्रेजों ने भी हिंदी के महत्व को पहचान लिया था। यही कारण है कि अंग्रेज अफसरों को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया गया था।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857) के बाद अंग्रेज काफी चौकन्ने हो गये थे। उन्होंने धीरे–धीरे भारतीय भाषाओं का हक छीनकर प्रशासन, शिक्षा तथा प्रायः सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी को थोपना शुरू कर दिया। वैसे जनउपयोग की दृष्टि से अदालतों आदि दस्तावेजों में अंग्रेजी शासन काल के दौरान भी मुगलकाल से चली आ रही फारसी मिश्रित हिंदी का व्यवहार होता रहा और आज तक भी यही क्रम जारी है। हिंदी ने संस्कृत के साथ–साथ शब्दावली के निर्माण में देशज भाषाओं उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों एवं अर्थों का साथ नहीं छोड़ा है। एक जीवंत भाषा बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर नये शब्दों एवं अर्थों को अपनाती है। हिंदी ने भी ऐसा ही काम किया। यही कारण है कि आज हम प्राचीन काल के दौरान सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जिसमें सरकार, तहसीलदार वकील, चपरासी, सिपाही, अमीन आदि शब्द शामिल हैं, प्रयोग में ला रहे हैं। अब ऐसा लगता ही नहीं कि ये शब्द हिंदी के नहीं है। ये शब्द हमारे मन–मस्तिष्क में रच–बस गए हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संविधान सभा में संघ की राजभाषा पर विचार करने का समय निकट आया तो विद्वानों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ कि भारतवर्ष के स्वाभिमान एवं गरिमा के अनुकुल हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित किया जाय क्योंकि भाषायी स्वाभिमान स्वतंत्र राष्ट्र का एक अभिन्न अंग होता है। हिंदी को ही राजभाषा के पद पर शुशोभित करने के पीछे यह धारणा क्रियाशील थी कि हिंदी केवल ज्ञान–विज्ञान, अध्ययन, साहित्य आदि की ही भाषा न रहे, लोक सम्पर्क की भाषा ही नहीं रहे अपितु प्रशासनिक भाषा का जामा पहनकर सरकारी काम–काज, बोलचाल तथा कार्यव्यवहार की भाषा भी बन जाये। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था की गई तथा सरकारी कार्यालयों व क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि धीरे–धीरे हिंदी दैनिक कार्यों की भाषा बन जाये। इसी कारण राजभाषा के रूप में हिंदी को सरकारी कामकाज का माध्यम चुन लिया गया। हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा के पद पर आसीन करने की व्यवस्था में यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग वर्ष 1965 तक चलता रहेगा और इसी बीच हिंदी को पुष्पित एवं पल्लवित किया जायेगा परन्तु राजभाषा अधिनियम 1963 में यह व्यवस्था की गयी कि हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी किन्तु अंग्रेजी के इस्तेमाल की छूट तब तक बनी रहेगी जब तक कि हिंदी को राजभाषा पारित करने वाले सभी राज्यों के विधानमंडल

अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त करने का संकल्प न ले लें। हिंदी कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाले अवरोध को दूर करने के लिए "केन्द्रीय हिंदी निदेशालय" एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इनके भगीरथ प्रयास से विभिन्न विषयों की शब्दावली के संकलन तैयार किये गये और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए प्रशासनिक शब्दों को परिभाषित किया गया। जो भाषा प्रशासनिक होती है, सरकारी कामकाजों में व्यवहृत होती है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सम्प्रेषण की कड़ी होती है उनका स्वरूप न तो पूर्णतः बोलचाल की भाषा की तरह होता है, न ही साहित्यिक भाषा की तरह। अतः ऐसी भाषा जिसका स्वरूप पूर्णतः भिन्न होता है उसके लिए उसी के अनुरूप शब्दावली तैयार करना नितान्त आवश्यक होता है। इस दशा में उक्त दोनों संस्थानों का कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय रहा है जिनके महती प्रयत्नों से हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी है। समयानुरूप एवं परिस्थिति के अनुकूल ज्ञान–विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित पारिभाषिक एवं प्राविधिक अर्थ–स्वरूपों को समझ सकने की उनकी सामर्थ्य बढ़ी है। उसे नये–नये शब्द एवं अर्थ मिले हैं कार्यालयों में कामकाज के लिए शब्द सम्पदा में वृद्धि हुई है। प्रशासनिक क्षेत्र में कुछ ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो प्रायः एक ही सामान्य अर्थ वाले महसूस होते हैं और साधारण बोलचाल में हम ऐसे शब्दों को एक ही शब्द कहकर काम चला सकते हैं। परन्तु जब कार्यक्रम की औपचारिकता का ध्यान रखते हुऐ सरकारी प्रयोजन के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाये तो यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए अलग–अलग शब्द प्रयोग में लाये जायें। उदाहरणतः आदेश, निर्देश, अनुदेश अध्यादेश, समादेश शब्दों को लिया जा सकता है। जो क्रमशः अंग्रेजी के आर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्सन, आर्डिनेंस और कमांड के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार रिमार्क, कमेंट्स, आबजरवेशन, ओपेनियन, न्यूज आदि शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक क्षेत्र में क्रमशः टिप्पणी, राय, मंतव्य, मत एवं विचार के अर्थ हेतु किया जाता है। जबकि सामान्य बोलचाल में इन शब्दों के लिए 'सलाह' शब्द प्रयुक्त होता है। अतः प्रशासनिक भाषा के शब्दों के चयन में बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है। अन्यथा मूल सामग्री के अर्थ परिवर्तन में देर नहीं लगेगी।

हिंदी में मशीन, डायरी, बस, कार, मोटर, बैंक, ड्राफ्ट, मनीआर्डर रेडियो, सिनेमा, गैस, कार्ड, मैनेजर, कमीशन, बिल आदि शब्दों का प्रयोग खूब प्रचलन में है। इसी प्रकार सलाहकार बोर्ड, सेमीनार कक्ष जैसे शब्द भी समान्य बोलचाल के साथ प्रशासनिक रूप में भी पूर्णतः अपनाये गये हैं इससे यह सिद्ध हुआ है कि जो शब्द जनता की जुबान पर चढ़ चुके हैं वे प्रशासिनिक हिंदी को नयी दिशा देने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

केन्द्र सरकार की ओर से हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं। कार्यालय में हर वर्ग के पदाधिकारी को हिंदी के बारे विस्तृत जानकारी दी जाती है। इसके लिए कार्याशालाएं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं इसका कुछ असर भी पड़ा है सोच में बदलाव आया है लोगों में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। हिंदी को सरकारी कामकाज में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित करने में अभी लम्बी दूरी तय करनी है। काम कठिन है, असंभव नहीं।

संतोष इस बात से है कि आज हिंदी बोलने–समझने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। हिंदी की गणना विश्व की सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषाओं में होने लगी है। कई देशों में हिंदी पढ़ाई की जा रही है, रिसर्च कार्य हिंदी में हो रहे हैं। देश की आर्थिक प्रगति और औद्योगिक उन्नति में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परिणाम स्वरूप आज हिंदी (राजभाषा) का प्रयोग व्यापार, उद्योग अन्य आर्थिक लेन–देन के क्षेत्र में भी हो रहा है। आज हिंदी ने सरकारी कामकाज, व्यापार, बैंक, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक आर्थिक विकास के हर कदम पर आगे बढ़कर एक सुनिश्चित आयाम प्रदान कर दिया है जो कि राजभाषा हिंदी के लिए एक सार्थक पहल है।

हिंदी में काम कीजिए, देश का गौरव बढ़ाइए।